3/3/2016 197

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)मुख्य/विधि/16/ 485 दिनांकः 30-3-16

समस्त
उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
राजस्थान

परिपत्र

मुद्रांक प्रकरणों की निर्णित पत्रावलियों समीक्षा हेतु मुख्यालय पर प्राप्त होने के दौरान प्रायः यह जानकारी में आया है कि 5 वर्ष से अधिक पुराने मुद्रांक प्रकरणों का भी वर्तमान में निर्णय किया जा रहा है जबकि दिनांक 01.10.15 को माननीय प्रमुख शासन सचिव, (वित्त) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में वित्त भवन स्थित मीटिंग हॉल में सम्पन्न वृत अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उनके द्वारा वर्ष 2012-2013 तक के विचाराधीन समस्त मुद्रांक प्रकरणों का दिनांक 30.11.15 तक निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे।

चूंकि वर्तमान में एमनेस्टी योजनान्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 12.01.16 तक दर्ज/विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में निर्णय अनुसार आरोपित वसूली पर ब्याज/शास्ती में अधिसूचना में वर्णित अनुसार छूट प्रदान की गई है।

अतः उक्त अधिसूचना के दृष्टिगत यह निर्देश दिये जाते है कि वर्ष 2012-2013 तक के विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों का 31 मार्च 2016 तक निर्णय किया जावे एवं एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत ब्याज/शास्ती की नियमानुसार देय छूट के अन्तर्गत वसूली किया जाना सुनिश्चित करें। यदि दिनांक 31.03.16 के उपरान्त भी वर्ष 2012-2013 तक का कोई मुद्रांक प्रकरण निर्णय होने से पैंडिंग पाया गया तो राज्य सरकार/विभाग स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जायेगा, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

भ व दी य,

sd

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)मुख्य/विधि/16/ 486-656 दिनांकः 30-3-16.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, न्याय, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर।
12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14. समस्त शाखाऐं, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

ACP(DD)/Prog.
1/4/16

F7-482